"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2016— आषाढ़ 23, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 23, 1938)

क्रमांक-7589/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) जो गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में,-

(एक) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(घघ) "रियायत" से अभिप्रेत है यथास्थिति, राज्य शासन या/तथा राजमार्ग प्राधिकारी और किसी व्यक्ति के मध्य किसी राजमार्ग या उसके भाग के विकास, वित्त पोषण और संचालन, जिसमें राजमार्ग के संचालन हेतु एवं उस पर शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण हेतु अनुबंध भी शामिल है, के लिए निष्पादित अनुबंध में विनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व;

(घघघ) "रियायतग्राही" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसने यथास्थिति, राज्य शासन या/तथा राजमार्ग प्राधिकारी के साथ किसी रियायत के लिये या उसके संबंध में अनुबंध किया हो;"

(दो) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ठ) "राजमार्ग प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य शासन का कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी अथवा कम्पनी जिसे इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इस प्रकार नियुक्त किया गया हो;"

धारा 4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "अथवा किसी प्राधिकारी" के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"या कोई कंपनी, जो सुसंगत विधि के अंतर्गत सम्यक् रूप से पंजीकृत हो तथा राज्य शासन के स्वामित्व और नियंत्रण में हो,"

धारा 6 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6. **राजमार्ग प्राधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य.-** (1) राजमार्ग प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में राजमार्गों के विकास करने हेतु शक्तियों का प्रयोग एवं कत्तव्यों का निर्वहन करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकारी, अपने किन्हीं भी कृत्यों का निष्पादन या तो स्वयं या किसी रियायतग्राही के माध्यम से कर सकेगा.

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजमार्ग प्राधिकारी,-

(एक) उसमें निहित अथवा उसको सौंपे गए राजमार्गों का सर्वे, विकास और संचालन कर सकेगा;

(दो) अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य भवनों का निर्माण कर सकेगा;

(तीन) उसमें निहित अथवा उसको सौंपे गए राजमार्गों के किनारे पर पथिक सुविधाओं का निर्माण और रख-रखाव कर सकेगा;

(चार) पथिक सुविधाओं अथवा इसके निर्माण तथा/या संचालन हेतु अपेक्षित भूमि, अन्य सत्ताओं को पट्‌टे, उप-पट्‌टे या अनुज्ञप्ति, ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर दे सकेगा, जैसा कि राज्य शासन अनुमोदित करे;

(पांच) भारत तथा विदेश में सलाहकारी तथा निर्माण सेवायें विकसित कर सकेगा एवं प्रदान कर सकेगा तथा राजमार्ग और इससे संबद्ध सुविधाओं का विकास और संचालन के संबध में शोध कार्य कर सकेगा;

(छः) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों के अधिक दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिये सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत एक या अधिक विधिक सत्ताओं का गठन कर सकेगा;

(सात) किसी भी राज्य शासन को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि उस पर परस्पर सहमति हो, राजमार्ग के विकास हेतु योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान कर सकेगा;

(आठ) राज्य शासन की ओर से धारा 11-क के अंतर्गत पथ-कर, तथा ऐसे अन्य शुल्क, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि विहित किया जाये, संग्रह कर सकेगा;

(नौ) सड़क सुरक्षा प्रोत्साहित करने के लिये उपाय कर सकेगा और परियोजनाएं ले सकेगा; तथा

(दस) ऐसे सभी उपाय कर सकेगा अथवा ऐसे आनुषंगिक उपाय कर सकेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कृत्यों का निष्पादन करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो.

(3) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अध्ययीन रहते हुए, प्राधिकारी, राजमार्ग के संचालन तथा विनियमन हेतु निम्नलिखित के संबंध में विनियम बना सकेगा :-

(एक) राजमार्गों का रख-रखाव और निरीक्षण;

(दो) उपभोक्ताओं की सुरक्षा;

(तीन) सड़क सुरक्षा के मानक और प्रक्रियायें;

(चार) राजमार्गों पर बाधाओं की रोकथाम की रीति;

(पांच) इस प्रयोजन हेतु चिन्हांकित स्थलों के सिवाय राजमार्ग पर वाहनों की पार्किंग या प्रतीक्षा वर्जित करने की रीति;

(छः) राजमार्ग के किसी भी भाग पर पहुंच को वर्जित करने या निर्बंधित करने की रीति;

(सात) राजमार्ग पर और इसके निकट विज्ञापनों को विनियमित करने या निर्बंधित करने की रीति; तथा

(आठ) सामान्यत: राजमार्ग के कुशल और उचित संचालन के लिये."

नवीन धारा 11-क का अन्त:स्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"11-क. **राजमार्ग पर प्रदत्त सेवाओं और प्रसुविधाओं हेतु पथकर.-** कोई भी वाहन, ऐसी दर एवं रीति में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित पथकर का भुगतान किये बिना, विनिर्दिष्ट राजमार्ग पर प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसका उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे वाहन के स्वामी या उपभोक्ता का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के शुल्क का भुगतान करे."

नवीन धारा 65-क का अन्त:स्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"65-क. **भू अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) का संदर्भ. -** इस अधिनियम में,- (क) जहां भी "भू अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894)", "भू अर्जन अधिनियम, 1894" अथवा "भू अर्जन अधिनियम" संदर्भित हो, उसको "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" से संदर्भित माना जायेगा; तथा

(ख) भू अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894) की किसी धारा के संदर्भ को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के सुसंगत प्रावधान का संदर्भ माना जायेगा.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में कुशलतापूर्वक एवं शीघ्रतापूर्वक सड़क संरचना का विकास करने के लिए, निजी निवेश को समर्थ बनाने, इस अधिनियम के अधीन राजमार्ग प्राधिकारी की शक्तियों एवं कृत्यों को स्पष्ट रूप से और अधिक परिभाषित करने तथा सम्पूर्ण राज्य के लिए पारदर्शी पथकर संग्रहण तंत्र का उपबंध करने की आवश्यकता महसूस की गई है;

और यत:, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के स्थान पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) अधिनियमित करने के पश्चात्, भूमि अर्जन संबंधित विषयों में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए, छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003) में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 07 जुलाई, 2016

राजेश मूणत
लोक निर्माण मंत्री
भारसाधक-सदस्य

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक की धारा 4 एवं 6 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर वित्तीय भार आयेगा. वित्तीय भार की गणना इस विधेयक के अन्तर्गत भविष्य में निर्मित/प्रस्तावित कार्यों पर निर्भर करेगी.

उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) की धारा-2 के खंड (घ), (ठ), धारा-4, धारा-6, धारा-11, धारा-65 का सुसंगत उद्धरण -

धारा-2 खंड (घ) - "कलक्टर" से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर है और इस अधिनियम के अन्तर्गत कलक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिये राज्य शासन द्वारा विशेषत: नियुक्त कोई अधिकारी;

(ठ) "राजमार्ग प्राधिकारी" से अभिप्रेत है तद्नुसार नियुक्त प्राधिकारी अथवा जिसे धारा 4 के अन्तर्गत उक्त प्राधिकारी के कार्य करने हेतु अभिन्यस्त किया गया हो;

धारा 4 - **राजमार्ग प्राधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Highway Authorities).** - राज्य शासन, अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये राज्य शासन के किसी अधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी को राजमार्ग प्राधिकारी राज्य अथवा राज्य के किसी हिस्से में सभी राजमार्गों बाबत् अथवा राज्य में किसी अन्य विशेष राजमार्ग अथवा राजमार्गों बाबत् अधिसूचना में दर्शित अनुसार, नियुक्त कर सकेगी.

धारा 6 - **राजमार्गों का विकास एवं रख-रखाव (Development and Maintenance of Highway) 6. राजमार्ग योजना से संबंधित खोजबीन (सर्वे) एवं प्रारंभिक भू-मापन हेतु भूमि में प्रवेश करने की शक्तियां (Power to enter land for reconnaissance and preliminary survey in connection with highway scheme). - (1)** राजमार्ग प्राधिकारी अथवा कोई अधिकारी जो कि लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री से निम्न श्रेणी का न हो अथवा राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा इस बाबत् अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों का पालन करने के आशय से :-

(क) किसी भूमि पर अपने कर्मचारियों के साथ प्रवेश कर सकता है और नापजोख कर सकता है और उस पर समतल कर सकता है;

(ख) ऐसे समतलों को, गढ्ढों अथवा नलकूपों को जो अधस्तल में हो को चिन्हित कर सकता है तथा यह ज्ञात करने के लिये कि भूमि उपयुक्त है अथवा नहीं सभी अन्य आवश्यक कार्य कर सकता है;

(ग) प्रस्तावित राजमार्ग की सीमा चिन्हें, निशान रखकर अथवा गहरे निशान खोदकर तैयार कर सकता है;

(घ) खड़ी फसल के किसी भाग को काटकर, सफाई करवा सकता है बाड़ लगा सकता है जहां कि अन्यथा भू-मापन पूर्ण नहीं किया जा सकता हो और समतल प्राप्त किये जा चुके हैं और सीमा चिन्ह लगाये जा चुके हैं, और

(ङ) इस बाबत् आवश्यक सभी कार्य कर सकता है. परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति, किसी भवन अथवा एक निवास योग्य मकान से लगे बगीचे के खुले घिरे क्षेत्र में आधिपत्यधारी की सहमति के बिना अथवा ऐसे आधिपत्यधारी को अपने उक्त अनुसार करने के इरादे की कम से कम पन्द्रह दिनों की सूचना दिये बिना, प्रवेश नहीं करेगा अथवा खड़ी फसल के किसी हिस्से को नहीं काटेगा, और साफ करेगा न ही बाड़ लगायेगा अथवा अन्य कार्य कर सकेगा.

(2) राजमार्ग प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी, उपरोक्त प्रवेश के समय, उपरोक्त कहे अनुसार होने वाली सभी आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा अथवा भुगतान प्रस्तावित करेगा, तथा भुगतान की गई अथवा भुगतान प्रस्तावित की गई राशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने की दशा में, वह सात दिनों की अवधि के भीतर, उक्त विवाद एवं प्रस्तावित राशि जो यदि स्वीकार नहीं की गई को उक्त जिले के कलेक्टर को रिफर/सम्प्रेषित करेगा और जिसका निर्णय अंतिम होगा.

धारा 11- **पथ की सीमाओं की जांच (Check of road boundaries) - (1)** यह राजमार्ग प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि राजमार्ग का कोई भी हिस्सा अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिये, अनाधिकृत अतिक्रमण यदि कोई हो, को इंगित करने के दृष्टिकोण से स्वयं के प्रभार के राजमार्ग के सीमाओं की नियमित जांच करेंगे.

(2) जब एक कब्जा राजमार्ग पर किया जा चुका है, राजमार्ग प्राधिकारी धारा 33 में दर्शाए अनुसार उसके हटाये जाने के संबंधित त्वरित कार्यवाही करेंगे.

धारा 65 - **इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों का अन्य विधियों के असंगत उपबंधों में अभिभावी होना (Provisions of this Act or Rules to prevail over inconsistent provisions in other laws).** - कान्टोन्मेन्ट्स, रेलवे के, टेलिग्राफ तथा इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में किसी केन्द्रीय अधिनियम में प्रदत्त को छोड़कर किसी विषय-वस्तु के संबंध में इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियम अन्य विधि जो राज्य विधायन द्वारा बनाये गये हैं, जहां तक कि उक्त विधि उक्त प्रावधानों अथवा नियमों से ऊपर, स्वीकार योग्य रहेंगे, जहां तक कि उक्त प्रावधानों अथवा नियमों तथा उस विधि से उक्त असमानता की सीमा तक, उक्त विषय-वस्तु पर प्रभावशील न होंगे अथवा प्रभावशील नहीं किये जावेंगे.

परन्तु यह कि, यदि किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, XL VIII 1956) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, यह राज्य शासन के लिए विधिवत् होगा कि धारा 12 के अंतर्गत वह भवन तथा नियंत्रण रेखाओं को उक्त राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों बाबत् नियत करें अथवा धारा 42 के अंतर्गत भूमियों पर उत्तमीकरण प्रभारों को वसूल करें, जिनके मूल्य में राजमार्ग के निर्माण अथवा प्रस्तावित निर्माण के कारण वृद्धि हुई है तथा तत्पश्चात् इस अधिनियम के वे प्रावधान जो कि जहां तक कि वे राजमार्ग सीमा तथा भवन रेखा के बीच, भवनों पर निर्बन्धनों पर लागू होते हैं तथा उन भवन तथा नियंत्रण रेखाओं से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे कि स्थिति हो, तथा इस अधिनियम के प्रावधान जो उत्तमीकरण प्रभार की वसूली से संबंधित हों, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.